nt>

Title: Need to implement the recommendations of N.J.C.S. Mohan Pay Commission and National Coal Pay Agreement Nos. 6-7 for the benefit of ISCO employees.

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) की अनुांगी इकाई इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लि. (इस्को) के लिए रिवाइवल पैकेज का निर्माण होने तक एन.जे.सी.एस. का लाभ नहीं देने का आदेश इस्पात मंत्रालय के पत्रांक एफ. नं.-9(1)98 सेल दिनांक 10-08-99 के द्वारा दिया गया था। दिनांक 20-11-2003 को वी.आई.एफ.आर. द्वारा रिवाइवल पैकेज मंजूर कर लिया एवं इस्कों के वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ और अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मजदूरों के अथक परिश्रम से कम्पनी मुनाफे की ओर अग्रसर है।

महोदय, घाटे के बावजूद भी दिनांक 23-07-2001 को सेल के लिए एन.जे.सी.एस. लागू कर दिया गया और इसकी अनुांगी इकाई इस्को को इस लाभ से वंचित कर दिया गया। अब इस्को ने लाभ अर्जित करना प्रारंभ किया है तथा इस्पात मंत्री एवं सेल के अधिकारियों के द्वारा इन्हें एन.जे.सी.एस. मोहन पे कमीशन तथा राट्रीय कोयला वेतन समझौता नं. 6-7 की सुविधाओं को प्रदान करने का आश्वासन भी अनेकों बार दिया गया, परन्तु आज तक इसे लागू नहीं किया गया।

महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस्को कर्मियों को तत्काल एन.जे.सी.एस. मोहन पे कमीशन तथा राट्रीय कोयला वेतन समझौता नं. 6-7 की सुविधाओं को अविलम्ब लागू किया जाए ताकि मुनाफे की ओर अग्रसर इस्को को घाटे में तब्दील होने से बचाया जा सके एवं इस्को कर्मियों को न्याय मिल सके।

महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यु है, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने इस मामले को उठाया है, धन्यवाद।